

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त कोटा

भविष्य के बाजार में बने आप भी भागीदार

भव्य नीलामी माह जून 2019

झालावाड/सुनेल/भवानीमण्डी/कोटा/बून्दी/नैनवां/अन्ता/अटरू/बारों शहर की विभिन्न योजनाओं में निर्मित आवास/वाणिज्यिक भूखण्ड/आवासीय भूखण्ड/निर्मित दुकाने हेतु मोहरबंद नीलामी का कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क सं.	योजना का नाम	व्यवसायिक, आवासीय भूखण्ड, निर्मित आवास, निर्मित दुकान	व्यवसायिक /आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास संख्या		कॉर्नर/ सामान्य	माप (वर्ग मी)	आरक्षित दर (प्रति वर्ग मी)	न्यूनतम बिड मूल्य (रु.) प्रति वर्ग मी. व प्रति आवास दर	संलग्न की जाने वाली राशि (रु.)	नीलामी प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि	नीलामी दिनांक व समय	नीलामी स्थल
			सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	इन्दिरा नगर झालावाड	निर्मित आवास	1 D 21	-	सामान्य	44.85	-	640000.00	32000.00	25.06.19 से 27.06.19 सुबह 11.00 बजे तक	27.06.19 सुबह 11.30 बजे	कार्यालय परि0अ0 (वरिष्ठ) इन्दिरा नगर उपखण्ड झालावाड
			1 K 13, 20	-			-	650000.00	32500.00			
2	जेल रोड झालावाड	निर्मित आवास	1 A 18, 1 C 5	-	सामान्य	72.00	-	1110000.00	55500.00			
3	सुनेल योजना	निर्मित आवास	1 C 29, 2 A 24, 25, 26	-	सामान्य	44.85	-	350000.00	17500.00			
			2 A 21	-	कॉर्नर	46.312	-	360100.00	18005.00			
			2 F 8, 10, 11, 12, 25	-	सामान्य	90.00	-	1790000.00	89500.00			
			2 F 14	-	सामान्य	90.00	-	1195000.00	59750.00			
			4 A 27	-	सामान्य	25.06	-	340000.00	17000.00			
			4 A 28	-	सामान्य	44.43	-	430000.00	21500.00			
			2 G 1	-	कॉर्नर	92.25	-	1205000.00	60250.00			
			2 G 4	-	सामान्य	92.25	-	1105000.00	55250.00			
			1 F 6, 2 F 31	-	सामान्य	90.00	-	1260000.00	63000.00			
			2 E 8, 9	-	सामान्य	96.00	-	1820000.00	91000.00			
			2 E 10	-	सामान्य	98.40	-	1835000.00	91750.00			
4	भवानीमण्डी योजना	निर्मित आवास	39	-	सामान्य	30.41	-	362000.00	18100.00			
			72	-	सामान्य	36.09	-	390800.00	19540.00			
			75	-	SDC	30.88	-	370000.00	18500.00			
			1/48	-	सामान्य	59.06	-	600000.00	30000.00			
			1/10	-	सामान्य	90.00	-	1250000.00	62500.00			

5	अन्ता आवासीय योजना में दकानों हेतु भूखण्ड	व्यवसायिक भूखण्ड	C-1,	-	कॉर्नर	27.00	14975.00	60500.00	81675.00	25.06.19 से 27.06.19 दोपहर 3.00 बजे तक	27.06.19 दोपहर 4.00 बजे	कार्यालय आवासीय अभियन्ता वन विभाग के सामने बारां
			C-2,3,4,5,6,7	-	सामान्य	27.00	14975.00	55000.00	74250.00			
			C-15,16,17, 18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27	-	सामान्य	21.60	14975.00	55000.00	59400.00			
			C-28	-	कॉर्नर	21.60	14975.00	60500.00	65340.00			
6	अटरू आवासीय योजना में दूकानों हेतु भूखण्ड	व्यवसायिक भूखण्ड	2-C-1,6,7,22, 27,	-	कॉर्नर	27.00	19595.00	30000.00	40500.00			
			2-C-2,3,4,5	-	सामान्य	27.00	19595.00	24000.00	32400.00			
			2-C-8,9,10, 11,23,24,25, 26,29,30,31 32,29,30,31, 32	-	सामान्य	27.00	19595.00	23100.00	31185.00			
			2-C-12	-	कॉर्नर	27.00	19595.00	30000.00	40500.00			
			2-C13,21	-	कॉर्नर	13.50	19595.00	30000.00	20250.00			
			2-C-14,15,16, 17,18,19,20,	-	सामान्य	13.50	19595.00	23100.00	15593.00			
			2-C-28, 33	-	कॉर्नर	27.00	19595.00	24000.00	32400.00			
7	जवाहर नगर आवासीय योजना बारां	आवासीय भूखण्ड	1-A-7	-	कॉर्नर (बेक साईड)	224.25	10463.00	11500.00	128944.00			
			1-B-8	-	सामान्य	325.31	10463.00	10500.00	170788.00			
			1-B-9,10,11, 12,13	-	सामान्य	177.56	10463.00	10500.00	93219.00			

8	स्वामी विवेकानन्द नगर	व्यवसायिक भूखण्ड	2 C 24, 25, 26	-	सामान्य	9.00	56825.00	80000.00	36000.00			
			2 C 2,3,4,5,6,8,10, 11, 12,14,15	<u>SC</u> 2 C 7,13 <u>ST</u> 2 C 9	सामान्य	142.50	56825.00	82500.00	587813.00			
			2 C 28	-	कॉर्नर	9.00	56825.00	82500.00	37125.00			
			2 C 1, 2 C 16	-	कॉर्नर	161.50	56825.00	84000.00	678300.00			
			3 C 1, 14	-	कॉर्नर	123.75	56825.00	84000.00	519750.00			
			3 C 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	-	सामान्य	123.75	56825.00	82500.00	510469.00			
			4 C 1, 10, 11, 20, 21, 69, 88, 89, 98	<u>SC</u> 4 C 30 , <u>ST</u> 4 C 78	कॉर्नर	18.00	56825.00	82500.00	74250.00			
			4 C 2, 3, 8, 9, 12, 18, 22, 23, 28, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 63, 66, 70, 71, 76, 77, 86, 87, 90, 96	<u>SC</u> 4 C 13,29, 56, 65,80,97 <u>ST</u> 4 C 19, 54,64,81	सामान्य	18.00	56825.00	80000.00	72000.00			
4 C 5, 6, 15, 26, 73, 83	<u>SC</u> 4 C 74,	सामान्य	18.00	56825.00	82500.00	74250.00						
9	कुन्हाड़ी	व्यवसायिक भूखण्ड	1,14	-	कॉर्नर	18.00	63295.00	160000.00	144000.00	26.06.19 से 28.06.19 दोपहर 3.00 बजे तक	28.06.19 दोपहर 4.00 बजे	कार्यालय आवासीय अभियन्ता खण्ड कोटा सी.ए.डी. चौराहे के पास
			8	-	कॉर्नर	18.00	63295.00	150000.00	135000.00			
			9,19,20	-	कॉर्नर	18.00	63295.00	125000.00	112500.00			
			2,3,5,6,7	<u>SC</u> 13	सामान्य	18.00	63295.00	113000.00	101700.00			
			10,11,12,15,16, 18,22,23,24	<u>SC</u> 17,25 <u>ST</u> 21	सामान्य	18.00	63295.00	100000.00	90000.00			
			31,34,34-A, 34-C, 45, 46	<u>SC</u> 34-B,	सामान्य	13.50	63295.00	225000.00	151875.00			
			56,57,60,63,64, 66, 68,69,70, 70-B, 70-C,71, 73, 76,77	<u>SC</u> 65,70A,74 <u>ST</u> 67 & 72	सामान्य	13.50	63295.00	200000.00	135000.00			
			80,81,85,88,92	<u>SC</u> 93	सामान्य	9.00	63295.00	200000.00	90000.00			
			96,97,98,99,100	-	सामान्य	9.00	63295.00	108000.00	48600.00			
			82	-	कॉर्नर	9.00	63295.00	260000.00	117000.00			
			78	-	कॉर्नर	13.50	63295.00	260000.00	175500.00			
			86,87	-	कॉर्नर	9.00	63295.00	230000.00	103500.00			
			94	-	कॉर्नर	9.00	63295.00	240000.00	108000.00			
			95	-	कॉर्नर	11.25	63295.00	125000.00	70313.00			
101	-	कॉर्नर	13.50	63295.00	125000.00	84375.00						

10	रामगंजमण्डी	निर्मित आवास	3-H-14, 3-N-4, 3-N-6, 3-N-13, 3-Q-17	-	सामान्य	90.00	-	970000.00	48500.00			
			3-N-1	-	सामान्य	172.50	-	1220000.00	61000.00			
			3-Q-15, 3-Q-20	-	सामान्य	91.72	-	976000.00	48800.00			
			3-A-2, 3-A-15, 3-H-2, 3-Q-8, 3-H-3, 3-H-4, 4-B-11	-	सामान्य	162.00	-	1960000.00	98000.00			
			3-A-16, 3-A-17, 3-A-18	-	सामान्य	176.40	-	2037000.00	101850.00			
			3-H-5	-	सामान्य	164.07	-	1965000.00	98250.00			
			3-Q-6	-	सामान्य	165.00	-	1970000.00	98500.00			
			3-Q-4	-	सामान्य	179.10	-	2025000.00	101250.00			
			3-Q-5	-	सामान्य	170.00	-	1990000.00	99500.00			
11	जवाहर नगर बून्दी	निर्मित आवास	4 B 31	-	सामान्य	89.78	-	1500000.00	75000.00			
			1 E 12	-	कॉर्नर	121.60	-	2400000.00	120000.00			
12	विकास नगर बून्दी	निर्मित दुकान	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	-	सामान्य	4.32	-	178000.00	8900.00	26.06.19 से 28.06.19 सुबह 11.00 बजे तक	28.06.19 सुबह 11.30 बजे	कार्यालय परियोजना अभियन्ता जवाहर नगर उपखण्ड बून्दी
13	जवाहर नगर बून्दी घरोंदा EWS	आवासीय भूखण्ड	4 F 20	-	सामान्य	34.87	8640.00	12000.00	20922.00			
			4 F 21	-	सामान्य	34.12	8640.00	12000.00	20472.00			
			4 F 25	-	सामान्य	31.12	8640.00	12000.00	18672.00			
14	सी.एच.एस. नैनवा	व्यवसायिक भूखण्ड	3 S 2, 3 S 7	-	सामान्य	18.00	23570.00	27730.00	24957.00			
			2 S 2, 2 S 8, 2 S 9	-	सामान्य	13.50	23570.00	27730.00	18718.00			
			2 S 4	-	कॉर्नर	13.50	23570.00	28730.00	19393.00			
15	नैनवां योजना	निर्मित आवास	2/19	-	सामान्य	43.5	-	598000.00	29900.00			
			3/98	-	सामान्य	42.60	-	908100.00	45405.00			
			2/150	-	कॉर्नर	107.106	-	2053000.00	102650.00			
			3/11	-	सामान्य	90.00	-	1849000.00	92450.00			

बिडदाताओं द्वारा नीलामी बोली में बिड प्रस्तुत करने हेतु बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बोली की शर्तों के विस्तृत विवरण, संबंधित कार्यालय से निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय से प्राप्त की जा सकती है। आरक्षित वर्ग SC-ST सलंगन की जाने वाली अमानत राशि बिड मूल्य (MBP) की 5 प्रतिशत होगी।

सम्पूर्ण सूत्र :-

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड कोटा
0744-2500911

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड बारां
07453-230456

उप आवासन आयुक्त
वृत्त कोटा
0744-2500685
0744-2500721

लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप

1. भूखण्ड का विवरण

(अ) योजना का नाम सेक्टर.....

(ब) आवासीय / वाणिज्यिक भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन
संख्या (जो लागू ना हो उसे काट दें)

2. बिडदाता का नाम

3. श्रेणी :- सामान्य / अनुसूचित जाति / जनजाति :

4. संलग्न अमानत राशि रूपये : डी.डी. / बैंकर चैक संख्या
..... दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम

5. मुहरबन्द बिड खोलने की निर्धारित तिथि :

बिडदाता के हस्ताक्षर

प्रस्तावना का ज्ञापन

निर्मित दुकान संख्या/व्यवसायिक भूखण्ड/आवास अथवा रिहायशी भूखण्ड संख्या :

योजना का नाम :

आरक्षित राशि :

न्यूनतम विक्रय मूल्य :

नीलामी तिथि :

मण्डल की प्रस्तावित नीलामी बोली :

नीलामी उपरान्त उच्चतम बोली राशि :

मै.....आत्मज श्री

जाति.....निवासी (पूरा पता).....का

हूँ। जो एतद्वारा यह स्वीकार करता हूँ कि मेने आज दिनांक.....को आवासन मण्डल कोटा द्वारा डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 की धारा 34 के प्रावधानो एवं प्रचलित/प्रभावी के नियमो के अधीन अंतिम उच्चतम बोली राशि रू0उपरोक्त वर्णित बडे भूखण्ड/निर्मित दुकान/मकान/आवासीय भूखण्ड को 99 वर्षीय पट्टे के आधार पर क्रय करने के लिये लिया है। बोली की 10 प्रतिशत राशि बतौर धरोहर राशि का भुगतान मण्डल को कर दिया है। इसके अतिरिक्त मे मण्डल द्वारा सूचित की गयी विविध खर्चो व अन्य भूमि/आवासीय कर जो मान्य हो एवं प्रभावी लीज की राशि भुगतान दिये जाने हेतु पाबन्द करता हूँ। यदि उपरोक्त बोली अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्वीकृत की गयी हो तो एतद्वारा नियमो के अनुसार/भूखण्ड/निर्मित दुकान/आवास/आवासीय भूखण्ड की बकाया राशि मांगपत्र जारी होने के 60 दिवस मे जमा करा दूंगा। यदि मै मांगपत्र की राशि निर्धारित तिथि मे जमा कराने मे असमर्थ रहा तो मण्डल को यह पूर्ण अधिकार है कि वो मेरी समस्त 10 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर ले और भूखण्ड/दुकान/मकान को पुनः नीलाम कर दे। इसमे मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी। उपरोक्त नीलामी नोटिस मे अंकित बिक्री नियमो को समस्त धाराओ का अक्षरक्ष पालना करने को मै अपने आप मे पाबन्द करता हूँ।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम.....

पूरा पता सहित.....

.....

बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप

स्व प्रमाणित फोटो

1. बिडदाता का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :
4. पता :
..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5. पेन नम्बर : (पेनकार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6. दूरभाष नम्बर : मोबाईल नम्बर :

7. अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :

(अ) योजना का नाम : सेक्टर :

(ब) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित
दुकान/निर्मित भवन (जो लागू ना हो उसे काट दें)

संख्या माप के लिये न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत

राशि रूपये की डी.डी./बैंकर चैक संख्या

दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम

संलग्न है।

नीलामी की शर्तें :-

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रु. 10.00 करोड से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख जो भी कम हो अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रु. 10.00 करोड एवं अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

3. उच्चतम बोली दाता को आवंटन पत्र की मांग राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। उच्चतम बोली दाता द्वारा मांग राशि उक्त अवधि में जमा नहीं कराने की स्थिति में यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 30 दिवस के भीतर मय प्रक्रिया शुल्क जमा करवाकर समयावृद्धि हेतु आवेदन किया जाता है तो बकाया मांग राशि पर निर्धारित अन्तिम तिथि से 30 दिवस का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं यदि 30 दिवस पश्चात 31 से 60 दिवस के दौरान आवेदन करता है तो 60 दिवस का ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूल करते हुए संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा बोली को नियमित किया जा सकेगा। बकाया मांग राशि उक्त समयावधि में ही मण्डल खाते में जमा कराना अनिवार्य होगी। समयावृद्धि अवधि 60 दिवस पश्चात मण्डल द्वारा किसी प्रकार की राशि जमा किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा और ना ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा तथा नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली को उप आवासन आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
4. यदि सफल बोलीदाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं कराता है तो वह लिखित में समय बढ़ाने का अनुरोध मय निर्धारित राशि जमा कर एवं उक्त परिस्थिति में जमा कराने पर नियमन के आदेश दिए जा सकेंगे। तत्पश्चात् ही राशि जमा की जा सकेगी।
5. नीलामी से सम्बन्धित समस्त राशि नकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे-ऑर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जावेगी।
6. खुली बिक्री न्यूनतम 100/- रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
7. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को स्थगित/निरस्त कर सकेगी। खुली बोली में न्यूनतम तीन बोलीदाता अवश्य होने चाहिए अन्यथा बोली स्थगित पर दी जावें। सीलबन्द निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा बोली जावेगी, एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी। जिस पर अन्तिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। मोहरबन्द निविदाओं में अधिकतम निविदा पर एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित उन निविदा दाताओं प्राप्त दर पर विचार किया जावेगा। एक बोलीदाता एक से अधिक बोली में भी भाग ले सकेगा एवं एक ही परिवार के सदस्य चाहे पति-पत्नी ही क्यों न हो नीलामी में भाग ले सकते हैं एवं नीलामी से सम्पत्ति क्रय कर सकते हैं।

सम्पत्ति की नीलामी निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी :-

- (1) निर्मित दुकान :- मोहरबन्द निविदाओं से।
- (2) भूखण्ड (व्यवसायिक) :- 100 वर्गमीटर तक का भूखण्ड मोहरबन्द निविदाओं से
- (3) 100 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक भूखण्ड खुली बोली से
- (4) आवासीय भूखण्ड/आवास :- मोहरबन्द निविदा/खुली बोली

8. नीलामी की स्वीकृति :-

नीलामी की स्वीकृति निम्नानुसार दी जा सकेगी :-

- (1) 50 लाख रुपये तक कम संख्या 08 पर गठित नीलामी समिति(उपआवासन आयुक्त)
- (2) 50 लाख रुपये से अधिक लेकिन 05 करोड रुपये से कम - आवासन आयुक्त
- (3) 05 करोड रुपये से अधिक 20 करोड रुपये तक - अध्यक्ष।
- (4) 20 करोड रुपये से अधिक - राजस्थान आवासन मण्डल (बोर्ड बैठक)

9. फर्म द्वारा नीलामी :-

यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. लीज डीड में नाम परिवर्तन :-

बोलीदाता यदि परिवार के अन्य सदस्य के नाम से लीज डीड बनवाना चाहता है तो यह परिवर्तन भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के 30 दिवस में 10,000/- रुपये शुल्क देकर परिवर्तन करा सकता है।

परिवार की परिभाषा :- परिवार में पति/पत्नी, माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहिता पुत्री और कानूनी रूप से दत्तक अवयस्क पुत्र/अविवाहिता पत्नी सम्मिलित होंगे।

11. त्रि-पक्षीय अनुबन्ध :-

अगर आवंटी मण्डल की सम्पूर्ण राशि जमा कराने हेतु किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर चुकाना चाहता है तो मण्डल को त्रि-पक्षीय अनुबन्ध के लिये अनुरोध कर सकता है। उप आवासन आयुक्त की अनुमति से त्रि-पक्षीय अनुबन्ध किया जा सकेगा। आवासन मण्डल बिना कारण बताये त्रि-पक्षीय अनुबन्ध के लिए इन्कार भी कर सकता है।

12. भूखण्ड पर कब्जा हस्तान्तरण :-

मांग राशि सम्पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् मण्डल 15 दिवस में भूखण्ड का आवश्यक रूप से कब्जा सम्भला देगा।

13. लीज अवधि राशि एवं लीज राशि :-

भूखण्ड वार्षिक राशि जमाबन्दी (लीजहोल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। आवासीय भूखण्डों के मामलों में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) वार्षिक एवं व्यवसायिक एवं संस्थानिक भूखण्डों अथवा सम्पत्ति पर लीज 5 प्रतिशत की दर से व्यवसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड की प्रचलित आरक्षित दर पर देय होगी। व्यवसायिक एवं संस्थानिक भूखण्डों पर प्रथम पाँच वर्ष तक वार्षिक लीज राशि आधी दर से देय होगी। आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अथवा नया वर्ष शुरू होने से 30 दिवस पूर्व में वार्षिक लीज राशि की सात गुना (पूर्व में जमा एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा करायी जा सकती है।

14. आवासीय व व्यवसायिक/संस्थानिक भूखण्ड व निर्मित दुकानें जहा है जैसा है के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाईन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जावेगी। उसके हटाने का खर्चा स्वयं क्रेता वहन करेगा। इस बाबत कोई शर्त मण्डल को स्वीकार्य नहीं होगी।

15. भूखण्ड का पंजीयन :- विक्रय किये गये भूखण्ड की लीजडीड उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा सम्बन्धित क्रेता के पक्ष में सम्पूर्ण विक्रय राशि जमा होने के 30 दिवस में करवाना अनिवार्य होगी।

16. भूखण्ड का निर्माण :-

क्रय किये गये भूखण्ड की लीज डीड जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति जमा कराने के पश्चात् आगामी दो वर्ष में निर्माण कार्य करवाना अनिवार्य होगा अर्थात् यदि भूखण्ड क्रय करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि में पूरा निर्माण नहीं किया जाता है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त माना जावेगा एवं राजस्थान आवासन मण्डल उस भूखण्ड को भार मुक्त मानते हुए कब्जा ले सकेगा एवं आवंटी अथवा बोलीदाता द्वारा जमा करायी गई राशि राजस्थान आवासन मण्डल के हक में जब्त की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार कराना होगा, ताकि शहरी निकाय के प्रचलित भवन निर्माण विधियों के मान दण्डों का ध्यान रखा जायेगा। निरस्तीकरण एवं भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। राज्य सरकार के निर्णय की राजस्थान आवासन मण्डल पर बाध्यता होगी।

17. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा, किन्तु जहां राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी प्राप्त की जावेगी। बोर्ड के निर्णय की निगरानी राज्य सरकार में प्रस्तुत की जा सकेगी।

18. सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

उद्घोषणा

मैं/हम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
बिडदाता आवासीय /वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन संख्या योजना का नाम सेक्टर घोषण करता/करते हूँ/है कि मैंने/हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी सम्बन्धी नियमों/विनियमों/शर्तों एवं उनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों/संवर्द्धनों को भली-भांति समझ लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते है कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर होने पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप मुझे/हमें नीलामी स्वीकृति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी बोली मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस सम्बन्ध में मैं/हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा/करूंगी/करेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

बिड प्रस्ताव

मैं/हम आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन संख्या
..... योजना का नाम सेक्टर के लिए अपनी/हमारी बिड दर रुपये (अंकों में) (शब्दों में रुपये.....
...) प्रति वर्ग मी०/प्रति आवास/प्रति दुकान / प्रति भवन प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते है। (जो लागू ना हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर बोलीदाता